Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 291 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

21-08¹7 03:05 to 03:20 pm आवेदिका / अभियुक्त श्रीमती विनीता शर्मा द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मौ के अपराध क्रमांक 199/17 अंतर्गत धारा—304बी, 34 भा0वं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदिका के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदिका श्रीमती विनीता के मामा ससुर विश्वनाथ मिश्र द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदिका का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केसडायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदिका श्रीमती विनीता के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदिका की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरूद्ध झूंठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया गया है। आवेदिका द्वारा आज तक कभी भी दहेज की मांग नहीं गई है। मृतिका रूबी के शरीर पर सफेद दाग थे। इन दागों को छिपाकर मृतिका के माता पिता ने विवाह करा दिया था। विवाह के पश्चात मृतिका के सस्राल आने पर जब दागों के बारे में पूछा गया तो वह बहुत मायुस हो गई थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे यह बताया था कि हमने कहकर शादी की है कि सफेद दाग हैं। दागों की ग्लानी के कारण मृतिका परेशान रहती थी और इसी कारण उसने आत्म हत्या कर ली। आवेदिका का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। विवाह के पश्चात मृतिका अपने पति के साथ ग्राम कतरौल में अलग रहती थी। आवेदिका अपने पति एवं बच्चों के साथ भिण्ड में रहती है। आवेदिका मृतिका के साथ कभी नहीं रही है। घटना के समय भी आवेदिका भिण्ड में थी। आवेदिका अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी और प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होती रहेगी। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका रूबी का विवाह देवेन्द्र शर्मा के साथ दिनांक 27.04.15 को हुआ था। विवाह के एक माह बाद से ही पति देवेन्द्र शर्मा, ज्येठ रामकुमार एवं जेठानी विनीता द्वारा रूबी से दहेज में वाशिंग मशीन, मोटरसइकिल व डेढ लाख रूपए की मांग का प्रताडित किया जाता था। पति देवेन्द्र शर्मा के द्वारा रामकुमार एवं जेठानी विनीता के कहने पर रूबी की मारपीट कर प्रताडिता किया जाता था। उक्त प्रताडना के कारण ही दिनांक 26.07. 17 को विवाह के सात वर्ष के भीतर रूबी की समान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में फांसी से मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में देहाती मर्ग 0 / 17 लिखी गई। जिस पर से थाना मौ में असल मर्ग की कायमी की गई। मर्ग जांच में देवेन्द्र शर्मा विनीता एवं रामकुमार के द्वारा रूबी से दहेज में वाशिंग मशीन, मोटरसइकिल व डेढ लाख रूपए की मांग का प्रताडित करने से रूबी की समान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में फांसी से मृत्यू होना अर्थात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर थाना मी में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदिका की ओर से पुत्र मोहित शर्मा की एल.के.जी. यू.के.जी. कक्षा—1, कक्षा—2 की प्रोग्रेस रिपोर्ट तथा समग्र परिवार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। परंतु मामले के उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों तथा आवेदिका श्रीमती विनीता शर्मा के विरूद्ध उक्त आक्षेप को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे। WIND STORESTON

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड